B-III
L-33
MIH

भारत परिषद अधिनियम-1909, मार्ले-मिंटो अधिनियम

पृष्ठभूमि :-

- 1892 के अधिनियम से राष्ट्रवादियों में असंतोष था कांग्रेस के द्वारा निरंतर संवैधानिक सुधारों की माँग की जा रही थी और गरमदलीय नेताओं ने यह नारा भी दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं।
- कांग्रेस के मंच पर गरमदलीय नेतृत्व का उदय और उनकी उग्रकारी शैली सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही थी।
- स्वदेशी आन्दोलन के दौरान स्वशासन को केन्द्र में रख अखिल भारतीय स्तर का जन आन्दोलन चलाया गया सरकार उभरते हुए राष्ट्रीय चेतना को लेकर भी चिंतित थी।
- क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण भी सरकार पर संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बढ़ रहा था।
- स्वदेशी आन्दोलन के दौरान सरकार ने भी संवैधानिक सुधारों को संकेत दिया था।
- इसी पृष्ठभूमि में 1909 का अधिनियम पारित हुआ।

प्रावधान -

- तामसराम परिषद में दो स्थायी सदस्य को भी शामिल किया गया। (1+1)

Scanned by CamScanner

- वापसराय परिषद में एक भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया - (एस॰पी सिन्हा)
- विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 सदस्य कर दी गई। 60 + 9 → 37 सरकारी, 32 गैर-सरकारी
- सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई जैसे बजट के कुछ मुद्दों पर मतदान का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार।
- अधिनियम में पृथक निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय को तथा वर्ग के आधार पर भूमिपतियों एवं व्यापारियों को दिया गया।
- निर्वाचन के लिए सम्पत्ति संबंधी योग्यतायें निर्धारित थी। (1947 तक)
- हालाँकि मुस्लिम समुदाय के लिए योग्यता में रियायत दी गई।

आलोचना :-

- राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा स्वशासन की माँग की जा रही थी लेकिन वापसराय परिषद में केवल एक भारतीय को शामिल किया गया।
- वापसराय भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था न कि भारतीय विधायी परिषद के प्रति।

Scanned by CamScanner

- भारतीय विधायी परिषद का भारतीय सरकार पर केवल सांकेतिक नियंत्रण था।
- प्रथक निर्वाचन का प्रावधान कर समाज को धर्म, वर्ग के आधार पर बाँटने की योजना बनाई गई।
- निर्वाचन के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता को आधार बनाकर आम लोगों को मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया।
- वास्तव में इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को आपस में लड़ाना, राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर करना इत्यादि।

भारत सरकार अधिनियम 1919 :-

पृष्ठभूमि :-

- 1909 के अधिनियम से राष्ट्रवादियों में असंतोष तथा स्वशासन की मांग जारी थी।
- संवैधानिक सुधारों के लिए राष्ट्रवादियों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाये गए जैसे - होमरूल आन्दोलन, लखनऊ पैक्ट इत्यादि।
- क्रान्तिकारी गतिविधियों का दबाव भी सरकार महसूस कर रही थी।
- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आत्म-निर्णय करने का आश्वासन दिया था 1917 में मांटेग्यू घोषणा के अनुसार भी सरकार ने उत्तरदायी सरकार का वादा किया।

Scanned by CamScanner

• 1918 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी किया गया और इसी को आधार बनाते हुए 1919 का अधिनियम पारित किया गया।

प्रावधान :-

ब्रिटेन में बदलाव-

• भारत परिषद अधिनियम में तीन भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान।
(1904 में दो भारतीयों को शामिल किया गया था।)

• भारतीय उच्चायुक्त नामक पद का गठन।

• भारत सचिव को ब्रिटिश राजस्व से वेतन दिया जायेगा।

भारत में-

केन्द्रीय स्तर पर :-

• गवर्नर जनरल परिषद में तीन भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान।

• द्विसदनीय विधानमंडल → राज्य परिषद (60 सदस्य)
→ केन्द्रीय विधान सभा (145 सदस्य)

• सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि जैसे- अल्पसूचना प्रश्न पूछने और स्थगन प्रस्ताव का अधिकार सदस्यों को दिया गया।

• दोनों ही सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत।

Scanned by CamScanner

- केन्द्रीय विधान सभा के लिए महिलाओं को भी मत देने का अधिकार।
- पृथक निर्वाचन के लिए सिख समुदाय को भी शामिल किया गया।
- सरकार के संचालन के लिए शक्तियों या विषयों का बंटवारा किया गया (केन्द्रीय सूची एवं प्रांतीय सूची)
- सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जायेगा।
- रियासतों के शासकों के लिए नरेन्द्र मण्डल नामक संस्था का गठन। → Chamber of Princes

प्रांतीय स्तर पर :-

- प्रांतो में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित किया गया।
  - हस्तांतरित
  - आरक्षित

आरक्षित :-

विषय या मंत्रालय के अन्तर्गत वित्त, पुलिस सिंचाई, भू-राजस्व, प्रेस इत्यादि थे। इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी प्रांतीय गवर्नर एवं मनोनीत सदस्यों पर थी या प्रांतीय गवर्नर एवं परिषद के हाथों में थी।

Scanned by CamScanner

हस्तांतरित :-

विषय थे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ इत्यादि, इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी प्रांतीय गवर्नर के साथ निर्वाचित सदस्यों की थी।

द्वैध शासन की आलोचना :-

- महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर अंग्रेजों का नियंत्रण।
- पैसे के लिए भारतीय मंत्रियों को अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था।
- मंत्रालयों के सचिव सिविल सेवा के अधिकारी थे और उन पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था।
- हालांकि द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक स्टेप बताया गया लेकिन वास्तविकता में उत्तरदायी शासन का दिखावा ज्यादा था।

1922 के पश्चात कांग्रेस :-

- असहयोग आन्दोलन वापिस लेने के पश्चात राजनीतिक सक्रियता को कैसे बना कर रखा जाए इसको लेकर दो दृष्टिकोण उभर कर सामने आये :-

(i) परिवर्तन समर्थक

(ii) परिवर्तन विरोधी

Scanned by CamScanner

परिवर्तन समर्थक :-

- 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव में भाग लेने के पक्षधर -

  प्रमुख नेता - चितरंजन दास
  मोतीलाल नेहरू
  हकीम अजमल खां
  विट्ठल भाई पटेल

- इनका मत था चुनाव में भाग न लेने पर संसदीय राजनीति में राष्ट्रविरोधी शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा तथा 1919 की कमियों को उजागर करने के लिए भी भाग लेना आवश्यक है।

- कांग्रेस के कार्यक्रम में आस्था रखते हुए (रचनात्मक कार्य) चुनाव में भाग लेने के समर्थक।

घटनाक्रम :-

- 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव पारित ही हो पाया।
  दास ने अध्यक्षपद से त्यागपत्र दिया।

- 1922-23 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के एक भाग के रूप में किया गया।

  अध्यक्ष - चितरंजन दास
  सचिव - मोतीलाल नेहरू

Scanned by CamScanner

- 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया।

अध्यक्ष- मौलाना आजाद (1923 - 1947)

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner